



राजस्थान सरकार

गूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या 28/2025

दायर दिनांक 07.05.2025

अनवान

01. गणपत पुत्र प्रहलाद जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी कुण्डली तहसील बानसूर जिला अलवर (राज0)

..... डिक्रीदार

बनाम

01. जयलाल पुत्र भवाना जाति भील उम्र वयस्क निवासी खड़ीपुर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

02. दुर्गालाल पुत्र देवीलाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी चैनपुरियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

03. सुगनलाल पुत्र नानुराम जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी खड़ीपुर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

3.1 गंगा पत्नि स्व0 सुगनलाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी खड़ीपुर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

3.2 हरिशंकर पिता स्व0 सुगनलाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी खड़ीपुर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

3.3 राजेश पिता स्व0 सुगनलाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी खड़ीपुर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

3.4 रेखा पुत्री स्व0 सुगनलाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी खड़ीपुर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

3.5 विमला पुत्री स्व0 सुगनलाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी खड़ीपुर हाल मुकाम जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

3.6 सन्तरा पुत्री स्व0 सुगनलाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी खड़ीपुर हाल मुकाम पदमपुरा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा (राज0)

04. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....मदयूनान

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक : 13 / 10 / 2025

डिक्री दिनांक : 13 / 10 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियां बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादी श्री जगदीश चन्द्र धाकड एकपक्षीय को हुकम दिया है व डिक्री दी जाती है कि :-

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर डिक्री इस आशय कि जारी की जाती है कि :- निम्नांकित भूमि उनके नाम के आग अंकित खातेदारान के नाम ग्राम खड़ीपुर पटवार हल्का सुखपुरा के राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

लगातार पेज संख्या 02 पर



उप खण्ड अधिकारी  
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

पेज संख्या 02

क्र.सं	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
01	गणपत पिता प्रहलाद मीणा निवारी कुण्डली तहसील बानसूर जिला अलवर	खड़ीपुर	1062/752/2	0.2023
	योग		खसरा 01	0.2023
02	9. गंगा पत्नि सुगनलाल मीणा 1/18 सा0देह 10. जयलाल पुत्र भवाना भील 1/3 सा0देह 11. दुर्गालाल पुत्र देवीलाल मीणा 1/3 सा0 चैनपुरियां 12. रेखा पुत्री सुगनलाल मीणा सा0देह 1/18 13. राजेश पुत्र सुगनलाल मीणा सा0देह 1/18 14. विमला पुत्री सुगनलाल मीणा सा0देह 1/18 15. सन्तरा पुत्री सुगनलाल मीणा सा0देह 1/18 16. हरिशंकर पुत्र सुगनलाल मीणा सा0देह 1/18	खड़ीपुर	1062/752/1 1062/752/3	0.1482 0.4589
	योग		खसरा 02	0.6071

उक्तानुसार डिक्री मूर्तिव हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।

नीज ..... Nil ..... मुबलिया ..... Nil ..... बावत् .....

il ..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर ..... Nil ..... फीसदी सालाना आज की  
रीख से तारीख वसूल यावी तक ..... Nil ..... का अदा करे।

यशव्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 माह 10 वर्ष 2025 को जारी  
क्या गया।

नोट- प्रकरण में वकील वादीगण द्वारा स्टाम्प 100 रूपयें का प्रस्तुत करने से डिक्री आज दिनांक  
13/10/2025 को मुर्तिव की गई।

3  
(अजीत सिंह रावैड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां जिला अलवर

द	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
टाम्प अरजी दया	-		स्टाम्प अरजी दया	-	
टाम्प वकीलात नामा	-		स्टाम्प वकीलात नामा	-	
टाम्प वजह सबूत	-		स्टाम्प वजह सबूत	-	
हनताना वकील ( )	-		मेहनताना वकील ( )	-	
इर्चा गवाह	-		खर्चा गवाह	-	
गैस कमीशनर	-		फीस कमीशनर	-	
बावत् इजराय हुक्मनामा	-		बावत् इजराय हुक्मनामा	-	
मुनफरिक	-		मुनफरिक	-	
मीजान			मीजान		



3  
(अजीत सिंह रावैड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां जिला अलवर



राजस्थान सरकार

## राजस्थान राज्य सरकार अधिकाारी विज्ञापियां जिला भीलवाड़ा (राज)

गैरपेशीय अधिकारी - अजीय सिर सार्जेंट (RAS) उपस्थानक अधिकारी

संख्या संख्या 28 / 2025

कार्य दिनांक 07/05/2025

अवधान

01) राज्याक पुऱ मरुवार जाहि मीणा उक्त राज्यक नियती सुकुरती रहलीत बनारस जिला अउरर (राज्य)

बनारस

बंदी

02) जलवाक पुऱ मरुवार जाहि भीत उक्त राज्यक नियती सुकुरती रहलीत बिजौरिया जिला भीलवाड़ा (राज्य)

03) सुनारवाक पुऱ मरुवार जाहि मीणा उक्त राज्यक नियती सुकुरती रहलीत बिजौरिया जिला भीलवाड़ा (राज्य)

04) सुनारवाक (राज्य)

3.1 मीणा जाहि स्या सुनारवाक जाहि मीणा उक्त राज्यक नियती सुकुरती रहलीत बिजौरिया जिला भीलवाड़ा (राज्य)

3.2 इन्डोर जिला स्या सुनारवाक जाहि मीणा उक्त राज्यक नियती सुकुरती रहलीत बिजौरिया जिला भीलवाड़ा (राज्य)

3.3 राजसू जिला स्या सुनारवाक जाहि मीणा उक्त राज्यक नियती सुकुरती रहलीत बिजौरिया जिला भीलवाड़ा (राज्य)

3.4 स्या सुनारवाक जाहि मीणा उक्त राज्यक नियती सुकुरती रहलीत बिजौरिया जिला भीलवाड़ा (राज्य)

3.5 जिला सुनारवाक सुनारवाक जाहि मीणा उक्त राज्यक नियती सुकुरती रहलीत बनारस जिल्ला अउरर बिजौरिया जिला भीलवाड़ा (राज्य)

3.6 बनारस सुनारवाक जाहि मीणा उक्त राज्यक नियती सुकुरती रहलीत बनारस जिल्ला अउरर बिजौरिया जिला भीलवाड़ा (राज्य)

04) सुनारवाक जाहि मरुवारवाक बिजौरिया रहलीत बिजौरिया जिला भीलवाड़ा (राज्य) प्रतिबर्दानक

उपस्थानक :- 01 श्री जनार्दन काम बरकड - विद्वान अधिकारिका बंदी

### बादपत्र अर्जात धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:- निर्णय :-

दिनांक :- 13 / 10 / 2025

संकेत नं बादपत्र के लख्य इस प्रकार है कि बंदी का बदपत्र अर्जात धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनारवाई दिनांक 14.08.2025 को प्रथमिक हिस्से इस काश्तकारी जाहि सुनारवाक कि नौका अरर सुकुरती मरुवार इका सुखपुरा रहलीत बिजौरिया स्थित अर्जात नम्बर 1082 / 752 स्कका 08954 ईक्टैयर भूमि नं बंदी के 1/4 हिस्से को भूमि का नौके अप्र अर्जात नं बंदी हिस्से अनुसार निरुक्त लख्य बावतस के अन्धर पर विभाजन किये जाने के अन्धर किये गये। प्रथमिक हिस्से को पारना नं पट्टे विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बिजौरिया से किये गये। तहसीलदार बिजौरिया नं अर्जने पत्राक / राजसू / 2025 / 1561 दिनांक 24.09.2025 से प्रथमिक हिस्से को पारना नौका निरुक्त नम्बका इस इस न्यायालय नं प्रस्तुत किये गये। प्रकाशित प्रस्ताव अधिकारिका बंदी को स्वीकार है।

उपस्थानक अजीयकारी  
तमाजारा भैव संख्या 02 पर  
उपस्थानक अधिकारी  
बिजौरिया जिला भीलवाड़ा

विभाजन प्रस्ताव जगबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बार्ड मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर वादीगण की उपस्थिति में तैयार करना गू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियां खुर्द ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है।

अतः गादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कारतकारी अधिनियम अन्तिम रूप से छिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)
01	गणपत पिता प्रहलाद मीणा निवासी कुण्डली तहसील बानसूर जिला अलवर	खड़ीपुर	1062 / 752 / 2	0.2023
	योग		खसरा 01	0.2023
02	1. गांगा पत्नि सुगनलाल मीणा 1/18 सा0देह 2. जयलाल पुत्र भवाना भील 1/3 सा0देह 3. दुर्गालाल पुत्र देवीलाल मीणा 1/3 सा0 देहनपुरियां 4. रेखा पुत्री सुगनलाल मीणा सा0देह 1/18 5. राजेश पुत्र सुगनलाल मीणा सा0देह 1/18 6. विमला पुत्री सुगनलाल मीणा सा0देह 1/18 7. सन्तारा पुत्री सुगनलाल मीणा सा0देह 1/18 8. हरिशंकर पुत्र सुगनलाल मीणा सा0देह 1/18	खड़ीपुर	1062 / 752 / 1 1062 / 752 / 3	0.1482 0.4589
	योग		खसरा 02	0.6071

उक्तानुसार अन्तिम छिक्री जारी की जाती है। वकील वादी निर्धारित नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प प्रस्तुत करें तब छिक्री मूर्तिब की जायें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करें।

(अजीत सिंह रावौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां

निर्णय आज दिनांक 13 / 10 / 2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजीत सिंह रावौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां

